

(3)

**SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF A.K.Gupta J.M.F.C. Gohad , DIST- Bhind (M.P)**

Case No.....119/17

Complaint or report made on .....

Name and address of the Complainant.....

नाथिक मजिस्ट्रेट कार्यालय  
गोहाद जिला भिन्द (म.प्र.)

Name , parentage, caste and address of accused

कमल सिंह अ० रमेश चन्द्र वर्मा  
नि० ग्राम - मोहरी प० मोहरी  
जिला - बिजनौर (म.प्र.)

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 9-3-17 को समय लगभग 23:30 बजे, स्थान  
विजयपुर रोड, गौहाद, जिला भिन्द (म.प्र.) में वाहन 279/337 को  
उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया जिससे आहत  
को साधारण उपहति कारित हुई इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य किया है जो  
कि भा०द०वि० की धारा 279/337 के तहत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय  
के संज्ञान में आता है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

(A.K.Gupta)  
Judicial Magistrate First Class  
Gohad dist Bhind (M.P.)

The plea of the accused and his examination (if any)

जुर्म स्वीकार है। माफ किया जावे।

कारागार

(A.K.Gupta)  
Judicial Magistrate First Class  
Gohad dist Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.



// निर्णय //

(आज दिनांक 10-7-17 को घोषित)

01. आरोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे भा0द0वि0 की धारा 279, 337 के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी 279, 337 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए, भादवि0 की धारा 71 एवं दप्रस की धारा 222 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि की सजा एवं रूपये 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 15 दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।
04. जप्तबुदा सम्पत्ति वाहन 2015 को MH-04/GP-997 को उसके प्रजीकृत स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(A.K. Gupta)  
Judicial Magistrate First Class  
Gondal District Bhind (M.P.)  
तहसिल जिला भिन्द 469001